



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01022022-233049
CG-DL-E-01022022-233049

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 78]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 1, 2022/माघ 12, 1943

No. 78]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 1, 2022/ MAGHA 12, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली 1 फरवरी, 2022

सं. 04/2022-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 78(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, नीचे सारणी के स्तंभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना जो उक्त सारणी के स्तंभ (3) में यथाविनिर्दिष्ट तत्स्थानी सं. सा.का.नि. द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी, उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, का विखंडन करती है, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	अधिसूचना संख्या	सा.का.नि. सं.
(1)	(2)	(3)
1.	अधिसूचना सं. 190/1978 सीमा-शुल्क, तारीख 22 सितम्बर, 1978 ।	468(अ) तारीख 22 सितम्बर, 1978 ।
2.	अधिसूचना सं. 191/1978 सीमा-शुल्क, तारीख 22 सितम्बर, 1978 ।	469(अ) तारीख 22 सितम्बर, 1978 ।

2. यह अधिसूचना 2 फरवरी, 2022 को प्रवृत्त होगी।

[फा.सं. 334/01/2022-टीआरयू]

विक्रम विजय वानेरे, अवसर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2022

No. 04/2022-Customs

G.S.R. 78(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby rescinds the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), as specified in column (2) of the Table below, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide corresponding numbers G.S.R. as specified in column (3) of the said Table, except as respects things done or omitted to be done before such rescission, namely:-

TABLE

S.No.	Notification number	G.S.R. No.
(1)	(2)	(3)
1.	Notification No. 190/1978-Customs, dated the 22 nd September, 1978.	468(E), dated the 22 nd September, 1978.
2.	Notification No. 191/1978-Customs, dated the 22 nd September, 1978.	469(E), dated the 22 nd September, 1978.

2. This notification shall come into force on the 2nd day of February, 2022.

[F.No. 334/01/2022-TRU]

VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.